:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

कमांकः 35/एक-2-2/85 **दिनांकः 14.**08.2018

रजिस्ट्री आदेश कमांक 968/गोपनीय/18/दो-2-1/2018(भाग-बी) जबलपुर दिनांक 08.08.2018 द्वारा जिला न्यायिक स्थापना दतिया पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित न्यायालय की पदस्थापना के फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश कमांक 1/एक-11-1/87 दतिया दिनांक 11.01.2018 के **खण्ड-अ** के सरल कमांक-23 एवं 24 (नवीनस्थापन),**खण्ड-ब** के सरल कमांक-05(नवीनस्थापन), **खण्ड-स** के सरल कमांक-3 की उप कंडिका-3व 5 का विलोपन उपरांत संशोधन एवं सरल कमांक 5 व 6 (नवीनस्थापन)अनुरूप निम्नानुसार संशोधन(पुर्नस्थापन) पढ़ा जावे।

खण्ड - अ

"सिविल न्यायालय कार्य विभाजन"

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
23-	**द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, दतिया**	1. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिकी / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
24-	**प्रथम अपर जिला न्यायालय, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षू न्यायाधीश), दतिया**	1. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिकी / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

खण्ड - ब

"मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण"

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
5-	**द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया**	1. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

खण्ड - स

" सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन"

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
3-	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया**	1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। 4. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

5-	**द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया**	1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 2. मध्यप्रदेश डकैती और व्यहपरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 3. विद्युत अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण। 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
6-	**प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षू न्यायाधीश), दतिया**	1. **सत्र** न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

श्रीमती सुनीता यादव
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

रजिस्ट्री आदेश कमांक 968/गोपनीय/18/दो-2-1/2018(भाग-बी) जबलपुर दिनांक 08.08.2018 द्वारा जिला न्यायिक स्थापना दतिया पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित न्यायालय की पदस्थापना एवं रजिस्ट्री आदेश कमांक-605 दिनांक 16.05.18 के द्वारा पदस्थ किये गये प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या0 दतिया के द्वितीय अतिरिक्त (प्रशिक्षू न्यायाधीश) दतिया के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु न्यायालय की स्थापना के फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश कमांक 1/एक-11-1/87 दतिया दिनांक 11.01.2018 के संलग्नक अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार की तालिका में **नवीन सरल कमांक 19 एवं 20** प्रतिस्थापित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

कं.	न्यायाधीश का पदनाम	न्यायालय	न्यायालय
19-	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के प्रथम अति0न्या0(विशेष न्या0एट्रो0) दतिया
20-	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अति0न्या0(प्रशिक्षू) दतिया	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

श्रीमती सुनीता यादव
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (म.प्र.)

क्रमांक:- 620 /2018 दतिया दिनांक:- 01.08.18

// आदेश //

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत माह अगस्त-सितम्बर 2018 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक/घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 03:00 बजे से उपस्थित होकर शाम 05:00 बजे तक संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा।

जिला न्यायालय (मुख्यालय) दतिया

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	अगस्त-2018	सितम्बर-2018
1	श्री चंद्रशेखर जयसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	5, 26	30
1	श्रीमती डॉ. रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	-	2, 3, 21
2	सु.श्री. मीनाक्षी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	12	15, 16
3	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	15, 18, 19	-
3	सुश्री प्रीति अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया	22	9, 13, 23

न्यायालय सेवढ़ा (दतिया)

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	अगस्त-2018	सितम्बर -2018
1	श्री राजेश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.	15	2, 3, 9, 30
2	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.	5, 12, 18, 19, 22, 26	13, 15, 16, 21, 23

न्यायालय भाण्डेर (दतिया)

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	अगस्त-2018	सितम्बर- 2018
1	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	5, 22, 26	2, 3, 9, 13, 30
2	श्री मुकेश सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	12, 15, 18, 19	15, 16, 21, 23

आवश्यक निर्देशः—

1. सामान्य कार्यदिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो उक्त अवकाश दिनांक को, उपरोक्त उल्लेखित अवकाश घोषित होने के पूर्व रिमांड ड्यूटी कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वर्णित आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
2. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जायेगी।
3. यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन होता है तो उसके स्थान पर आने वाले न्यायिक अधिकारी, पूर्व अधिकारी की भांति उक्त कार्य संपादित करेंगे। यदि स्थानांतरण/प्रमोशन होने वाले न्यायिक अधिकारी के स्थान पर कोई अधिकारी नहीं आता है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक या लिखित निर्देशानुसार मुख्यालय पर उपस्थित कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेगें।
4. रिमांड ड्यूटी हेतु आवश्यक कार्य में रिमांड, सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदन आदि की सुनवाई एवं निराकरण सम्मिलित रहेंगे।
5. सेवढ़ा एवं भाण्डेर न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर रिमांड हेतु मामले जिला मुख्यालय दतिया पर रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
6. रिमांड ड्यूटी हेतु नियोजित दिनांक को संबंधित न्यायिक अधिकारी को किसी आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया को पूर्व लिखित सूचना दी जाकर स्थापना पर पदस्थ अन्य न्यायिक अधिकारी की सहमति से रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकती है।

अनुमोदित
(हस्ताक्षर)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

(हस्ताक्षर)
विजय कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला— दतिया म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक /2018

दतिया दिनांकः— 02-08-18

प्रतिलिपिः—

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (म.प्र.) उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर।
3. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)।
4. माननीय जिला न्यायाधीश (सर्तकता) ग्वालियर (म.प्र.)।
5. माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया (म.प्र.)।
6. समस्त न्यायालय – .... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया/सेवढ़ा/भाण्डेर (दतिया)।
7. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक दतिया एवं एस.डी.ओ.पी. दतिया, बड़ौनी, सेवढ़ा एवं भाण्डेर। O/C
8. जिला अभियोजन अधिकारी दतिया (म.प्र.)।
9. सचिव वार ऐसोसियेशन दतिया, सेवढ़ा एवं भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
विजय कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला— दतिया म.प्र.